[Shri H. N. Mukerjee]

ment (Posts and Telegraphs) relating to Expansion of Srinagar Telephone Exchange.

12.2 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

REPORTS AND MINUTES

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): I beg to lay on the Table the following Reports and Minutes of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

(1) Report of the Committee on its visit to the Headquarters Office of the Punjab National Bank, Parliament Street, New Delhi in September, 1975.

(2) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Bhopal Jabalpur, Varanasi, Lucknow and Hardwar in December, 1975.

(3) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Bombay, Aurangabad and Manipal in December, 1975.

(4) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Badli and Singhu villages of the Union Territory of Delhi and Industrial Training Institute, Pusa, New Delhi in February, 1976.

(5) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Chandpur and Chatesar villages of the Union Territory of Delhi and Industrial Training Institute, Curzon Road and Arab-ki-Sarai in February, 1976.

(6) Report of the Committee on its visit to certain DDA Colonies and a Girls' Hostel in the Union Territory of Delhi, in March, 1976.

(7) Minutes of the First to Forty-third, Forty-ninth, Forty-fourth and Fifty-fifth sittings of the Committee.

12.03 hrs.

BETWA RIVER BOARD BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): I beg to move*:

> "That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

As the Hon'ble Members are, perhaps aware the River Betwa is a major tributary of the Yamuna flowing through the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The Betwa Canal system together with Parichha weir was constructed in 1885 the Dhukwan dam constructed in 1909, the Matatila dam constructed in 1958 and these together with a few other small schemes utilise less than 1/3rd of the total water resources of the Betwa.

The Bundelkhand region of Uttar Pradesh and the districts of Guna, Shivpuri and Datia of Madhya Pradesh bordering the Bundelkhand region, are drought-stricken areas. The existing storages provide meagre irrigation facilities to these areas and are unable to supply water to large pockets in this region.

The Rajghat site on the Betwa on the Border of U.P. and M.P., provides

*Moved with the recommendation of the President

excellent conditions for a large storage to meet the irrigation demands of these needy areas. The question of sharing of the waters of the Betwa in the interest of the people of the region received considerable attention during the course of the last three years by the two State Governments and it was in August, 1972 that an agreement was reached between the Chief Ministers of the two States to construct a storage dam at Rajghat with live capacity of 62 TMC (Thousand million cubic ft.). After allowing for 9 TMC for the committed use downstream, the balance waters will be shared equally by the two States. The total quantity available at Rajghat is 115 TMC. It was agreed that 53 TMC will be utilised by M.P. upstream of Rajghat and the balance quantity of 62 TMC will be available at Rajghat for being shared between M.P. and U.P. as indicated above.

The Rajghat Dam will be a joint venture of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh Governments, and the estimated cost of the dam is Rs. 72.56 crores.

The Rajghat Dam will have a maximum height of 28 metres in the earthen portion which will be about 10 KM long and 43 metres high in the masonry portion which will be 550 metres long. The reservoir will involve submergence of 214 sq. KM comprising 111 sq KM in 26 villages in U.P. with a population of over 10,600 and 103 sq. KM in 22 villages in M.P. with a population of over 8000.

The share of U.P. in the Rajghat waters will be utilised in extending irrigation under the Betwa Canal system and that of M.P. will be used in extending irrigation under the existing Bhander Canal system and in providing irrigation to the areas downstream of the dam. This scheme will, on the whole, provide annual irrigation to an area of about 3 lakh hectares.

The Rajghat project will usher in a new era in the history of this backward region and be a model of an inter-State understanding leading to optimum utilisation of the available water resources of an inter-State river for the mutual benefits of the vast population of this region.

The construction of the dam was inaugurated by the Prime Minister in April, 1973. Subsequently M.P. had some reservations concerning the project features. A supplemental agreement was entered into between M.P. and U.P. on 9th December 1973. In this agreement, the two Chief Ministers agreed to the setting up of a Central Control Board under the chairmanship of the Union Minister of Irrigation and Power for the speedy, smooth and efficient execution of various inter-State projects of UP. and M.P. including the Rajghat project. They also agreed that the construction of the Rajghat Dam should be entrusted to a project authority to be appointed by the Control Board.

A peculiar feature of the Rajghat dam is that the dam site is located partly in U.P. and partly in M.P. In order therefore that the work of masonry dam and earthen dam proceeds according to a pre-determined schedule and that the project work does not get a setback in implementation, the work of the entire dam, including rehabilitation, has to be carried out by one agency. No agreement could be reached on any one State implementing the project because both the States wanted their officers and staff to be associated with the implementation of the work. Ultimately, the States agreed to entrust the execution of the project to an independent High Power Board which would utilise in equal measure the services of both the States and agreed to finance the project in proportion to the benefits accruing to them. This High Power Board would be presided over by the Union Minister in charge of irrigation. Such a Board could not be constituted by an executive order because of the special conditions obtaining in the location of the Rajghat dam. Several alternatives were considered in consultation with the Law Ministry and also in consultation with the State Governments. Although water is a State subject—

[Shri Kedar Nath Singh]

vide Entry 17 of the State List—Parliament is competent to provide for legislation and development of inter-State rivers to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest (vide entry 56 of the Union List). Besides, under Entry 44 of the Union List, the Parliament is competent in respect of incorporation, regulation and winding up of Corporrations with objectives not confined to one State. Both the States are, therefore, anxious that the execution of the project should be entrusted to an independent High Power Board. It is, therefore, proposed to undertake a fresh legislation under Entry 56 of List I in respect of Rajghat Project.

Detailed consideration of the legal implications in consultation with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs preceded the preparation of a draft Bill to provide for a Board to undertake the construction of the Rajghat Dam. The finalisation of the draft Bill, however, took time because of differences on various technical and engineering aspects as well as in regard to the scope of the functions of the Board. It was possible to persuade the Chief Ministers of the two States in August, 1975 to resolve their differences.

Hon. Members will see from the provisions of the Bill that the Board will be a Tripartite Board presided over by the Union Minister of Agriculture and Irrigation and include the Chief Ministers of M.P. and U.P. as well as the Ministers of the two States in charge of Finance and Irrigation. The main functions and powers of the Board shall be to carry out surveys and investigations, prepare detailed project reports, land estimates, allocation of cost amongst the Governments of M.P. and U.P., drawing of specifications, construction of the Rajghat Dam, laying down rules of operation and perform any other related functions.

The cost of the Rajghat Dam shall be shared between the two State Governments. The Central Government may have to bear only a nominal cost of DA and TA of the Members of the Betwa River Board and the Executive Committee.

There will be an Executive Committee to assist the Board. The Chairman of the Executive Committee would be a Central Government Officer and the Committee's composition would be left to be prescribed by rules framed under the Act. The intention, however, is that till the completion of the project, the Secretary of Additional Secretary in the Ministry of Agriculture and Irrigation would preside over the Committee and the Committee will include Chairman, CWC, Joint Secretary in the Department of Expenditure of Finance Ministry, the Secretary incharge of Finance and Irrigation Departments of the two States besides their senior engineers. A smaller Committee may, however, be constituted after the project works are completed to look after operation and maintenance works. The Chief Engineer, the Financial Adviser and the Secretary of the Board will be appointed by the Central Government after consulting the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. As far as possible, it will be ensured that officers from the same state do not hold the posts of Chief Engineer and Secretary at the same time. I would like to draw attention in particular to clause 18 which provides that if any dispute arises between the Board and the Government of Madhya Pradesh or Uttar Pradesh or both regarding any matter covered by this Act or touching or arising out of it, it shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final and binding on the Board and the said Governments.

The Central Government is also empowered to make rules for carrying out the purposes of the Act and approve of the regulations framed by the Board to regulate its business. A Betwa River Board Fund is also provided in clause 13 which would be built up out

of funds provided by the two State Governments. I would like to end my remarks with an expression of my deep sense of appreciation of the spirit of cooperation displayed by the two State Governments. The proposed Rajghat Dam would provide water to an area where it would prove to be a boon to the people and contribute to development of irrigation and eventually bring about prosperity to the region. I am sure, the hon. Members will join me in wishing the two States all the success in bringing to fruition the objectives behind the proposed project.

MR SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (केसरिया) : अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का स्वागत करता है क्योंकि जब दो राज्य आपस में मिल कर समस्याओं को सुलझा लेते हैं और उन के बारे में एग्रीमेंट हो जाता है तो यह खुशी की बात है और स्वागत योग्य है । मुझे इस बात की भी खुशी है कि नए जो सिंचाई मंत्री आए हैं उन के नेतृत्व में यह सारा काम हुआ है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस समस्या को सुलझाने के लिए एक मत हो गए हैं और राजघाट डैम पर नदी के पानी के बटवारे की योजना लागू हो जाएगी, वैसे ही और बहुत सारे राज्य हैं जिन के बीच में नदियों के पानी के बटवारे के झगड़े पड़े हुए हैं और इस तरह से राज्यों के बीच में पानी का विवाद बना हुआ है जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में है, बिहार और मध्य प्रदेश के बीच में है और बिहार और पश्चिमी बंगाल के बीच में है। ऐसे झगड़ों को सुलझाने के सिलसिले में आप की ओर से कदम उठाए जाने चाहिए और आपस में झगड़ों को सुलझा कर समझौता कराना चाहिए। इन झगड़ों के न निपटने के कारण बहुत सारी योजनाएं खटाई में पड़ी हुई हैं जैसा कि दामोदर वैली का सवाल है । दामोदर वैली के सवाल को ले कर आज बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मत भेद हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इन मतभेदों को दूर करें। दामोदर वैली के पानी और बिजली का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए जिस से दोनों प्रदेशों को फायदा पहुंच सके।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जल सम्पदा की आपकी कोई नीति नहीं है । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि पानी को आप को राष्ट्रीय सम्पदा करार देना चाहिए। राज्यों के विवादों पर हम हमेशा इस बात की बराबर मांग करते रहे हैं कि केन्द्रीय मंत्री मंडल को इस के बारे में सोचना चाहिए लेकिन अभी तक उन्होंने इस के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है और पानी को राष्ट्रीय सम्पदा नहीं घोषित किया है लेकिन अभी जो यह समझौता हुई है यह अच्छी शुरुआत है और स्वागत-योग्य है और दूसरे जो राज्यों के बीच में झगड़े हैं उनको भी सुलझाया जाना चाहिए।

इसी के साथ साथ मैं यह चाहूंगा कि नेपाल सरकार के साथ भी समझौता करना चाहिए और वहां पर डैम बनाना चाहिए या कोई और दूसरी स्कीम लागू करनी चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार की रक्षा हो सके। आप ने जो बोर्ड बनाया है उस का संचालन करने के लिए दोनों राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि नेपाल

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

सरकार के साथ भी कोई समझौता करके कोई स्कीम लागू करनी चाहिये जिस से उत्तर प्रदेश और बिहार का कल्याण हो सके। आज तो उत्तर प्रदेश और बिहार हर साल बाढ़ से पीड़ित रहते हैं और उससे बचने के लिए अभी तक कोई भी स्कीम लागू नहीं की गई है । हर साल करोड़ों नही अरबों रुपये का खर्च सरकार का होता है लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो बोर्ड बनाया गया है यह एक सही बात है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डैम बनाने के बाद विस्थापितों की समस्या पैदा हो जाएगी और उस समस्या को हल करने के लिए इस बिल में कोई योजना नहीं है। इस बिल में विस्थापितों को बसाने के लिए, रोजगार देने के लिए और दूसरी सुविधाएं देने के लिए कुछ होना चाहिए था लेकिन वह नही है और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब देते समय इस के बारे मे बताएं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह इन लोगों का अनुभव है कि दूसरे राज्यों में जहां पर ऐसी योजनाएं लागू हुई है, वहां पर मजदूरों की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी रहती है । गंडक योजना के अन्दर मजदूरों और बड़े बड़े अधिकारियों के बीच झगड़े होते रहते है और जब आप ने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का सिद्धान्त मंजूर कर लिया है तो क्या कारण है कि जो बोर्ड आप बना रहे है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होगी उसमें कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व न दें जिसके जरिए वे लोग महसूस करते कि यह जो डैम बन रहा है और यह जो स्कीम बन रही है, यह देश के लिए है और उसमें वे भी हाथ बंटा रहे हैं। इस तरह से एक भ्रातृत्व की भावना पैदा होती और अच्छा काम करने की भावना पैदा होती । इस लिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए । जब इस तरह की कोई योजना लागू होती है तो उसमें समस्याएं उभर कर आती हैं और इसलिए उन को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

एक बात और कहना चाहता हूं । कि आपको जल के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तय करनी चाहिए और इसके बारे में विचार यहां सदन में होना चाहिए । मैं समझता हूं कि आज पूरी जल नीति का अभाव है और इस नीति का अभाव इसलिए है कि जहां पर पूंजीवाद व्यवस्था होती है वहां पर असमान डेवलपमेंट होता है । हमारे देश में भी पूंजीवादी व्यवस्था रही है और असमान डेवलपमेंट राज्यों का हुआ है। कुछ प्रदेश आगे बढ़ गए है और कुछ पिछड़ गए है। जब हम एक समाजवादी व्यवस्था देश में लाना चाहते है तो एक राष्ट्रीय नीति तय की जानी चाहिए और सारी जल सम्पदा को पूरे राष्ट्र की सम्पदा मानना चाहिए और उसमे राज्यों के विवाद नहीं आने चाहिए ।

मै इस बिल का समर्थन करता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि अन्य राज्यों के जल विवादों को भी जल्दी निपटाना चाहिए। बिहार और मध्य प्रदेश मे सोन नदी के पानी के बटवारे का प्रश्न है। कुछ समाधान तो निकला लेकिन पूरा वह मामला हल नहीं हुआ है। मै कोई रीजनलिज्म के दृष्टिकोण से मे यह नहीं कह रहा हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हू कि इस बात पर ध्यान दिया जाए और राज्यों के जो आपसी

झगड़े हैं, उनको समाप्त किया जाए। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि जहां मजदूरों की समस्या है, विस्थापितों को बसाने की समस्या है, और दूसरी सुविधाएं देने की समस्या है, उनके बारे में सरकार सोचे और जल नीति के बारे में सरकार क्या करने जा रही है, उसके बारे में यहां सदन में आश्वासन दे और दूसरे राज्यों के जो जल विवाद पड़े हुए हैं, उन को सुलझाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, उसके बारे में भी मंत्री जी यहां सदन में बताए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा० गोविन्द दास रिछारिया (झांसी) मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। साथ साथ भारत सरकार को बधाई देता हूं और साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। निश्चित तौर से आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बड़ा शुभ और महत्वपूर्ण दिन है। बहुत पहले भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया था और उसकी पूर्ति की ओर एक और कदम आज उसने बढ़ाया है बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि नदियों के विवाद चलते रहते है, पानी बहता जाता है और उसके कारण से भूमि सूखी रहती है उस पानी का कोई लाभ नहीं उठाया जाता है। लेकिन आज उसकी ओर एक कदम बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने—दो प्रदेशों के विवाद को तय करने के लिए एक बोर्ड का गठन करने सम्बन्धी बिल यहां पेश किया है। इसके लिए दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री और खास तौर पर हमारे प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी की सराहना की जानी चाहिये जिन्होंने भरी धूप में उस बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और राजघाट स्थान पर पहुंचे और इस योजना का शिलान्यास प्रधान मंत्री जी द्वारा कराया। आज वह योजना फलफूल रही है और एक महत्वपूर्ण कदम उस ओर उठाया जा रहा है।

मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस वर्ष के अपने अभिभाषण में खास तौर से इस बात का जिक्र किया था कि नदियों के विवाद तय करना एक महत्वपूर्ण काम है। उस ओर इस बिल को पेश करके भारत सरकार ने तथा उसके सिंचाई मंत्रालय ने एक कदम बढ़ाया है

यह योजना उस क्षेत्र के लिए, वहां की जनता के लिए बहुत महत्व रखती है। वहां जमीन बहुत है लेकिन आबादी कम है। वहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से जो उत्पादन में वृद्धि होगी उस से खाद्यान्न की जो समस्या है उसको हल करने में योग मिल सकेगा।

मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यह वह क्षेत्र है जहां 1857 स्वतंत्रता आन्दोलन में क्रांति संगठित की गई है और महारानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में उस क्षेत्र ने अग्रणी बन कर उस में भाग लिया था। वहां के जो निवासी हैं, जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए यह योजना सुखदायी होगी, उनको आराम देगी, इस में कोई शक नहीं है।

कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कुछ टैक्नीकल बातें इस बिल में हैं जिनकी वजह से

[डा० गोविन्द दास रिछारिया]

हो सकता है कि इस योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब हो जाए। उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। पहले भाग में आपने यह कहा है :

"यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

मेरा निवेदन है कि यह बिल पास हो जाने के बाद गजेट में जल्दी प्रकाशित हो। ऐसा न हो कि इसके प्रकाशन मे देर लगे और उसकी वजह से यह काम रुका पड़ा रहे।

आगे आपने कहा है कि एक कार्यकारिणी समिति बनाई जाएगी और उसको जो उसका है वह भी गजेट मे प्रकाशित की जाएगी। ये जो टैक्नीकल बाते है इनकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि यह महत्वपूर्ण योजना टैक्नीकल बातो में फस कर विलम्ब मे कार्यान्वित हो।

निधि जो आप मुकर्रर करेंगे उस के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है कि उस निधि मे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारो से पैसा आप को लेना है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारो के बजट लगभग विधान सभाओ मे पेश हो चुके है और पास होने वाले है। चूंकि आपने इस बिल का पास कराने मे देरी की है इस वास्ते हो सकता है कि उन सरकारों ने अपने बजटो में पैसा न रखा हो। मेरा निवेदन है कि जो पैसा सिचाई मंत्रालय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को देने वाला है उस मे से उतना ही रुपया काट कर के अपने बजट मे रा[illegible] [illegible] बोर्ड की जो कार्यकारिणी हो उसको ह[illegible] कर दे ताकि कही

ऐसा न हो कि इस बिल के पास होने के बाद भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें कहें कि आपका बिल देर से पास हुआ है, हम अपने बजटों में पैसा नहीं रख पाएं हैं, और इस कारण से काम आगे न बढ़ सके।

राजघाट के मुख्य इंजीनियर तथा अन्य इंजीनियरो की जो नियुक्ति करनी है, उस मामले में भी आप विशेष सतर्कता बरतें, उस काम में भी आप देरी न होने दें। आप देखें कि इस काम मे किसी प्रकार का विलम्ब न हो।

इस बिल के आखिर मे यह टिप्पणी दी गई है कि दोनो मुख्य मंत्रियो का एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। 1972 मे यह एग्रीमेंट होने के बाद मंत्री महोदय का आज 30 मार्च, 1976 को यह बिल लोक सभा मे पेश कर सके है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हु कि वह इस विषय में सतर्क रहे कि इस बिल के पास होने के बाद कही इन टेकनीकल बातों के कारण और विलम्ब न हो जाय और इस महत्वपूर्ण योजना को शीघ्र कार्यान्वित न किया जा सके। 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग इस पंचवर्षीय योजना मे सिचाई को बढ़ाना है। जिस योजना के संबंध मे प्रधान मंत्री जी ने स्वयं दिलचस्पी ली थी और दोनों मुख्य मंत्रियो के सामने उस का शिलान्यास किया था, मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखे कि उस में आगे और विलम्ब न हो और इस काम को युद्ध स्तर पर किया जाय।

इस नदी मे पानी बहुत है और वहां जमीन भी बहुत है। वहां सिचाई होने से बहुत गल्ले का उत्पादन होगा और इस प्रकार राष्ट्र के विकास उत्तर प्रदेश के विकास और खाद्य समस्या को हल करने म बहुत मदद मिलेगी।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं सिंचाई मंत्री, उप सिंचाई मंत्री, केदारनाथ सिंह, और मंत्रालय के अधिकारियों को इस बारे में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं और उन का अभिनन्दन करता हूं ।

श्री नाथू राम अहिरवार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं बेतवा नदी बोर्ड विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं । हम देखते आ रहे हैं कि इतने विशाल क्षेत्र में जमीन पड़ी हुई है, नदी में पानी बह रहा है, लेकिन किसान भूखों मर रहे हैं । इसलिए या तो वे दिल्ली की तरफ़ मजदूरी के लिए भागते हैं, या दूसरे क्षेत्रों में फसल काट कर मजदूरी पाने के लिए जाते हैं । सिंचाई न होने और भयंकर ग़रीबी होने के कारण वह क्षेत्र पिछले बीस पच्चीस सालों से डाकुओं से ग्रस्त रहा है । वहां ज्यादा ग़रीबी होने और लोगों के पास कोई धंधा न होने के कारण उस क्षेत्र में डाकू बनते रहे और लोग लूटते रहे ।

सरकार ने यह कार्य कर के वहां की जनता को आशीर्वाद दिया है और उन लोगों के लिए यह एक बड़ा शुभ अवसर है । मैं केन्द्रीय सरकार को इस लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस ने पहली बार हस्तक्षेप कर के दोनों प्रदेशों की जनता के हित में यह अच्छा कदम उठाया है ।

हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा पर जितने भी बांध बने, उन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश हमेशा घाटे में रहा । जब रिहंद बांध बना, तो यह एग्रीमेंट हुआ कि 15 परसेंट बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि पहली पंच-वर्षीय योजना में बने हुए उस बांध से मध्य प्रदेश को एक यूनिट बिजली भी नहीं मिलती है । जब माता-टीला बांध बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के 22 गांव डूब गये । उन गांवों के लोगों को वहां से हटाया गया, उन के मकान बर्बाद हुए और उन को जमीन भी नहीं मिली । यह तय हुआ था कि उस बांध से जेनीरेट होने वाली बिजली का 33 परसेंट मध्य प्रदेश को दिया जायेगा । लेकिन ऊर्जा मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि अभी तक मध्य प्रदेश को बिलकुल बिजली नहीं दी गई है । यह एक बहुत अफ़सोस की बात रही है । अब केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप कर के दोनों सरकारों में समझौता करा दिया है । यह बड़े संतोष की बात है कि दोनों सरकारों के आपस के मतभेद दूर हो गये और इस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए इस योजना को प्रारम्भ करना संभव हो गया है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि राजघाट से कुछ दूर, जहां इस समय बांध बनाने जा रहे हैं, पंचमहल एक गांव है, जिस के पास नदी के दोनों तरफ़ पक्की पहाड़ी है और एक प्राकृतिक बांध बना हुआ है । वहां का सर्वेक्षण हो चुका है और इंजीनियरों ने रिपोर्ट दी है कि अगर यह बांध वहां पर बनाया जाता, तो गवर्नमेंट को छः करोड़ रुपये का फायदा होता । जो आप मिट्टी का दस किलोमीटर लम्बा बांध बनाने जा रहे हैं वह नहीं बनाना पड़ेगा और उस में 6 करोड़ रुपये जो लगने वाले हैं वह बच जाएंगे । उस से कैनाल बनाने में और दूसरे कामों में मदद मिल जायेगी तो अभी तो केवल मकान और बंगले ही बने हैं, काम तो अभी शुरू नहीं हुआ है । अभी आप उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट मंगा लें और सारे कागजात मंगा कर देख लें । अगर उस को करने में आप को सुविधा हो तो वह

[श्री नाथू राम अहिरवार]

आप करें । मुझे जो जानकारी मिली है वह मैं आप के सामने रख रहा हूं ।

इस विधेयक में जो आप ने कंट्रोल बोर्ड का गठन किया है उस से मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन इस में एक धारा 31 है जिस में यह लिखा है कि अगर कोई अधिकारी इन गुड फेथ कोई गलती करता है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा । मगर गुड फेथ की कोई परिभाषा तो हमें मालूम नहीं है । इंजीनियर लोग जो काम करते हैं उस में गड़बड़ी कुछ न कुछ तो होती ही है । मगर यदि सारे का सारा गड़बड़ हो जाय तब तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा । लेकिन एक तसल्ली हमें है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष हमारे केन्द्र के सिंचाई मंत्री होंगे और इस में दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री होंगे, साथ ही बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी इस में होंगे, तो गलती कम होने की गुंजाइश है और जो गलती होगी उसे गुड फेथ हम मान सकते हैं ।

अभी एक माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे बांध का फैसला नहीं हो पा रहा है क्योंकि मध्य-प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है । मेरा यह निवेदन है कि बाणसागर योजना केवल बिहार सरकार के हामी न भरने की वजह से खटाई में पड़ी है । उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों राजी है लेकिन बिहार सरकार हामी नहीं भर रही है और वह कहते हैं कि हम एग्रीमेंट नहीं करते हैं इसलिए वह खटाई में पड़ी है, जब कि उनका इस से कोई ज्यादा संबंध नहीं है । वह नदी जिस पर बांध बनना है उसका पानी तो दूसरी तरफ जाता है । लेकिन उस की हद में चूंकि जोन नहीं पड़ती है इसलिए वह उस पर रोक लगाते हैं । अभी हमारी विधान सभा में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस बात का एलान किया है । ... (व्यवधान) .. आप अपने मुख्य मंत्री से कहिए कि वह हां करें तो योजना चालू हो जायगी ।

यह जो विधेयक पेश हुआ है उस से इस देश की जनता को काफी लाभ होने वाला है । इस से शिवपुरी और टीकमगढ़ जिले के बहुत बड़े हिस्से को काफी लाभ पहुंचने वाला है । इस के अलावा झांसी जिले और गुना के इलाके को लाभ पहुंचने वाला है । ये क्षेत्र ऐसे हैं कि उन में कुआं नहीं खोदा जा सकता है क्योंकि पूरी जमीन में पत्थर हैं और यहां नदियों में पानी है जिस से सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है ।

माताटीला से आगे बेतवा नदी पर जो पारीछा बांध बना हुआ है उस से जो पानी जाता है वह पानी मध्य प्रदेश को बिल्कुल नहीं मिलता । उस का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हुआ है । जमीन सारी मध्य प्रदेश की डूबी है । गुरसराय, कैनाल मध्य प्रदेश के गांवों से हो कर गई है उस के दोनों तरफ़ खेत सूख रहे हैं और उस का पानी आगे जा कर उत्तर प्रदेश के गांवों को मिलता है । इस तरह का बटवारा अच्छा नहीं है । एक ही प्रदेश के दोनों भाग हैं और नदी मध्य प्रदेश से बह कर गई है, कैनाल वहां से बह कर जाती है लेकिन पानी नहीं मिलता है। सरकार को इस बात के ऊपर फिर से सोचना चाहिए ।

अभी बेतवा नदी पर एक रोड का पुल बना था । वह पुल 1965 में बन कर तैयार हो गया था । उस पर 31 लाख

रुपया लगा था । और उस में केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तीनों का पैसा लगा है । जब राज बहादुर जी यातायात मंत्री थे तो यह तय हुआ था और उन्होंने एलान किया था कि इस पुल पर टोल टैक्स लगाया जायगा और जितना इस पर खर्च हुआ है वह जब वसूल हो जायगा तो टोल टैक्स की वसूली बन्द कर दी जायगी। मैं ने हिसाब लगाया है, अब तक करीब 45 लाख रुपया वसूल हो चुका है और वह सारे का सारा पैसा न केन्द्र को मिला, न मध्य प्रदेश को मिला, अकेले उत्तर प्रदेश को मिला है । नियम यह बना था कि केवल एक तरफ से 5 रुपए 62 पैसे जो बस जाएगी उस को देना पड़ेगा लेकिन उस से दोनों तरफ से लेते थे और अब पहली फरवरी से 20 रुपया प्रति बस प्रति ट्रिप कर दिया है । इस तरह से दोनों तरफ से 40 रुपया हो गया है और इस से करोड़ों रुपये वसूल हो जाएंगे । मेरा यह कहना है कि जितनी लागत है उतना वसूल कर लिया तो अब टोल टैक्स बन्द कर देना चाहिए। जैसे और सरकारों ने कम किया है, मध्य प्रदेश ने कम किया है तो उनको भी करना चाहिए । जो यात्री बस में बैठ कर जाते हैं वे गरीब लोग हैं और बस वाले का तो कोई नुकसान नहीं है वह यात्रियों से वसूल कर लेगा, इसका नुकसान तो यात्रियों को उठाना पड रहा है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार तक इस खबर को पहुंचा दें और यह मामला हल हो जाय तो बहुत अच्छा है । उस से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के रहने वालों का फायदा है ।

यह जो बांध बन रहा है इस में इंजीनियरों ने जो मेहनत की है उस के लिए वह बधाई के पात्र हैं। सब से बड़े बधाई के पात्र हमारे कृषि मंत्री जी हैं जिन्होंने देश के तमाम अन्तर्राज्यीय विवादों को सुलझाने का प्रयास किया और उस में सफलता भी प्राप्त की ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू): अध्यक्ष जी, बेतवा नदी के पानी का सदुपयोग हो, जिन राज्यों में से उस नदी का प्रवाह है उन राज्य सरकारों के आपसी झगड़े सामने न आयें, राष्ट्र के हित में काम हो—इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बिल यहां पर लाया गया है । इस सदन में काफी समय से मांग हो रही थी की पानी पर केन्द्र का नियंत्रण हो । पानी या तो हिमालय पर्वत पर बर्फ गलने से नदियों के माध्यम से आता है या फिर वर्षा से आता है । इस विस्तृत देश में किसी एक राज्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह पूरे पानी का सदुपयोग कर सके। नदियां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बहती हैं, एक राज्य की सीमा से होकर दूसरे राज्यों की सीमा में बहती हैं। ऐसी स्थिति में होना यह चाहिए कि इस पानी पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण हो ताकि जिन क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी पहुंचाया जा सके और जिन क्षेत्रों में पानी की बहुतायत है वहां पर वह कोई अड़चन या बाधक न बने । इसी उद्देश्य को लेकर यह बिल यहां पर लाया गया है । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस ओर एक अच्छा कदम उठाया है, उन्होंने अपनी सद्भावना का परिचय दिया है । जिसके लिए वे बधाई की पात्र हैं । केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण पानी पर हो, इस सिद्धान्त को इस में माना गया है जिस का स्पष्ट

[श्री शिवनाथ सिंह]

सकेत क्लाज 18 मे मिलता है । यदि दोनो राज्यो के बीच कोई झगडा होगा तो उसको केन्द्रीय सरकार के पास रेफर किया जायगा और केन्द्रीय सरकार का फैसला अंतिम होगा । इन झगडो की वजह से अभी तक इस देश को बहुत नुकसान उठाना पडा है । बहुत से अन्तर्राज्यीय झगडे इसी कारण सुलझ नही सके हैं। राजस्थान के कडाणा बाध की योजना इसलिए रुकी रही कि इस बात का निर्णय नही हो सका कि उसकी ऊचाई पाच फिट कम हो या अधिक हो। इसका नतीजा यह है कि जो योजनाये पहले आधी कीमत मे पूरी हो जाती उन के लिए आज दुगुनी कीमत लगानी पड रही है ।

अध्यक्ष जी, इस सिद्धान्त को इस मे माना गया है कि जिन राज्यो से होकर नदी बहती है उन के बोर्ड बनाये जायें लेकिन मैं समझता हूं कि जो सूखे प्रान्त है उनका भी अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए राजस्थान प्रान्त मे एक नदी बहती है , वह सूखा प्रान्त है लेकिन वहा की जमीन अच्छी है और वहा के लोग मेहनत करना चाहते है लेकिन वहा पर पानी की कमी है । ऐसी स्थिति मे हिमाचल प्रदेश, पजाब और उत्तर प्रदेश आदि राज्यो की जो नदिया है उन पर राजस्थान जैसे सूखे राज्य का भी अधिकार होना चाहिए, उनका भी उन नदियो के पानी मे हिस्सा होना चाहिए । ऐसा नही होना चाहिए कि उन नदियो का पानी केवल उन्ही प्रान्तो को मिले जहा से होकर वह नदिया बहती है। यह बात उचित नही है और न ही राष्ट्रीय हित मे है । आपने जो इस प्रकार से बोर्ड बनाने की व्यवस्था की है, इस मशा को आप आगे बढाये ।, सूखेप्रान्तो को भी उसमे हिस्सा दें उनका प्रतिनिधित्व भी उन बोर्डों में होना चाहिए तभी वास्तविक रूप मे आप राष्ट्रीय हित की बात कर सकते हैं।

इस बिल मे तीन प्राविधान रखे गए हैं— एक बोर्ड बनेगा, एक्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी और एडवाइजरी कमेटी भी बनेगी । इनके क्या फक्शस होगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे क्या सफलता मिलेगी, इसका पता तो बाद मे ही चल पायेगा क्योकि यह नयी स्कीम बनाई गई है । यह बोर्ड, कमेटीज और कौंसिल्स जो बनेगी वह ठीक ढग से काम करेगी लेकिन मुझे एक शका मालूम पडती है । इस बिल की धारा 19 मे आपने प्राविधान रखा है, हालाकि वह जरूरी है लेकिन और कही इस प्रकार का प्राविधान नही है ऐसी स्थिति मे अगर एक प्राविधान एक जगह पर रखें और दूसरी जगह पर न रखे तो शका पैदा होना स्वाभाविक है कि यहा पर इसको क्यो रखा गया है । आपने किसी भी मकान मे एन्ट्री का प्राविधान रखा है । अभी तक जितने बाध बने है उन के सम्बन्ध मे भी सर्वे हुआ होगा । आपने यहा पर स्पेशल प्राविजन रखकर, मैं समझता हू आपने अधिकारो को लिमिट किया है, किसी प्रकार मे उनका विस्तार नही कर रहे हैं। इस लिये यदि इस प्रकार का प्रावधान अन्य प्रावधानो म है तो फिर इस को यहा पर रखने की आवश्यकता नही थी । इसके अलावा एक जरूरी प्रावधान था, जो इस म नही आपने रखा । जो वहा के आउस्टीज होगे उन की जिम्मेदारी किस पर होगी किस प्रकार उनका रीसैटलमेन्ट होगा, किस प्रकार उनका मुआवजा दिया जायगा । जब आप वहा पर बोर्ड बना रहे है और उसकी देख रेख मे सारा काम करा रहे है, तो उन के उठाने का मुआवजा देने का काम , मकानो का मुआवजा देने का काम इस बोर्ड के जिम्मे होना

चाहिये। यह स्टेट गवर्नमेन्ट की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिये। यह प्रावधान मुझे इस में कहीं नजर नहीं आया, मेरी दृष्टि में यह बहुत बड़ा लैकुना है। अगर आपने ऐसा प्रावधान कहीं पर रखा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन नहीं रखा है तो आप इस वक्त भी ऐसा प्रावधान कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपने इस अधिकार को और अधिक बढ़ाये। ताकि जो सूखे प्रान्त हैं, उन को दूसरे प्रान्तों के साथ बोर्ड बनाया जाय ताकि उन सूखे प्रान्तों को भी पानी की सुविधा मिल सके।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद आज बुन्देलखण्ड के बारे में उन्होंने सोचने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, काफ़ी अर्से से बुन्देलखण्ड से एक ही आवाज उठ रही थी—क्या बुन्देलखण्ड का इलाका हमेशा पिछड़ा रहेगा या उस में कुछ ऐसे साधन मुहिया किये जायेंगे जिससे उसका पिछड़ापन दूर हो सके। आप वहां जाइये—मैं ललितपुर या झांसी की बात नहीं कर रहा हूं ये बड़े क्षेत्र हैं, या ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े लोग रहते हैं, मैं तो वहां के गांवों की बात कह रहा हूं, जहां गरीबी छाई हुई है, अनकों ऐसे परिवार हैं जिन को दो वक्त खाना भी नसीब नहीं होता है,। इस सदन में जब भी इन बातों को लाने की कोशिश की गई, तो एक ही उम्मीद की लहर नजर आती थी—वह थी—बेतवा नदी। हम हमेशा से यही चाहते थे कि उस पर कोई ऐसा बांध बने जिस से उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंच सके। यह मसला दो राज्य-सरकारों—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश—के बीच में बहुत दिनों तक चल रहा था। लेकिन मैं नहीं समझता था कि इस तरीके से इतने सुचारु ढंग से यह मसला हल हो जायेगा। अब यह मसला हल हो गया है। मैं समझता हूं कि माताटीला की बात जो मेरे उधर के मित्र ने की है—माताटीला से जितने गांव उजड़े हैं, मैंने खुद वहां जा कर देखा है—उन को मुआवजा नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो नहीं के बराबर मिला है। अगर माताटीला बांध से मध्यप्रदेश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मुझे मालूम है—बुन्देलखण्ड को उस से ज्यादा फायदा कहीं सुखवा और दुखवा बांध से हुआ है, जब कि माताटीला पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। वहां पर जो पत्थर लगा हुआ है कि उस पर कितना खर्च हुआ है, उसको बार बार पोंछ कर लिखा गया है कि उस पर इतने करोड़ रुपये खर्च हुआ है और अभी भी मालूम नहीं अन्त तक उस पर कितना खर्च हुआ है। उस से जो फायदा होना था, वह बुन्देलखण्ड को नहीं हुआ।

अब इस बिल के पास होने के बाद जो बोर्ड बनेगा, जिस में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे, मैं चाहता हूं कि इस इलाके के जो सदस्यगण हैं, चाहे पार्लियामेन्ट के मेम्बर हों या एम०एल०ए० हों, उन को उस में रखा जाय, क्योंकि हमेशा से वे कोशिश करते आये हैं, चाहे झांसी से चुने गये हों या किसी दूसरी जगह से चुने गये हों, कि किसी तरह से बुन्देलखण्ड का पिछड़ापन दूर हो। उस बोर्ड में बजाय इस के कि दोनों मुख्य मंत्री और कुछ अफसरान हों, उस में वहां के चुने हुए नमाइन्दों को भी रखने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे, मैं खास तौर से श्री केदार नाथ सिंह जी से कह रहा हूं, क्योंकि वे

[श्री एस० एम० बनर्जी]

भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। और उत्तर प्रदेश का होने के नाते उन्होंने बुन्देलखण्ड के भयंकर पिछड़ेपन को देखा होगा। मैं अब भी कहना चाहता हू कि आज इस बिल के पास होने के बाद एक नई आशा की लहर वहां के लोगो मे दौड़ेगी और वह सोचेगे कि हमारे खेतो को सिचाई के लिए पानी इससे मिलेगा। अगर वहा का यह पिछड़ापन दूर हो जाय तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति मे फर्क आ जाय, क्योकि उत्तर प्रदेश मे कुछ ऐसे जिले हैं जिनक रेवेन्यू से ही पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, वरना वहा एक तरफ़ा बलिया और आजमगढ जैसे इलाके है उन से भी भयंकर पिछड़ापन बुन्देलखण्ड मे है। मेरे मित्र ने ठीक कहा कि डाकुओ का जन्म कैसे हुआ ? आप देखे कि चम्बल की रेवोन्स मे डाकुओ का जन्म पदाइश से नही हुआ, बल्कि भूख और प्यास ने उन को डाकू बना दिया। और अब भी उस इलाके मे डाकुओ का वह डर नही रहा क्योंकि मैं खुद ललितपुर गया, झासी से। लोगो ने कहा कि आप जा रहे हैं कुछ लोगो को साथ ले जाइये। मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, बहुत होगा तो घड़ी ले लेगे, वरना तो कोई लेगा नही। तो वहा पर कोई इस वक्त डर नही है। और अगर यह पिछड़ापन दूर हो जाय तो वही डाकू जो आज डाकू कहलाते है, शहर व अच्छे नागरिक बन जाये। लेकिन उस के बारे मे मै कुछ आश्वासन मंत्री महोदय चाहता हू। यह नही कहता कि बटवारा हो जाय, मैं इस बात को मानने वाला हू कि कोई झगडा नहो रहना चाहिये, लेकिन कही एसा न हो कि वह पिछड़ा इलाका बुन्देलखण्ड का जिसके आसुओ से बेतवा नदी मे पानी है उस पर राजघाट के नाम मे जो बांध बनाना है, कहीं ऐसा न हो कि उस का ज्यादा हिस्सा किसी ऐसे गांव मे चला जाय जिसे मे पिछड़ापन नहीं चाहे वह गांव उत्तर प्रदेश का ही और चाहे मध्य प्रदेश का। इसलिये मंत्री महोदय आश्वासन दें इस का जो फायदा होगा उस से बुन्देलखंड की हालत को सुधारा जायगा।

इन शब्दों के साथ मै मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हू और साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियो को भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उन में आपस में मेल मिलाप रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कोई डिसप्यूट होता है तो उसको सेन्टर तय करे। लेकिन डिसप्यूट क्यों हो। आपस में कोई डिसप्यूट नही होना चाहिए, और न होगा। अगर यह भावना हो जाय तो जिस पवित्र बेतवा जल के लिए लोग परेशान है उस से लोग खुशहाल हो जायेगे। इसलिये आपस मे कोई झगडा नही होना चाहिये। और मै निवेदन करना चाहता हू कि बुन्देलखड के और मध्य प्रदेश के पिछडे पन को ध्यान मे रखते हुए आपस मे तमाम झगडे तय होने चाहिये। जिस सद्भावना मे हम इस बिल को यहा पास करना चाहते हैं उसी सद्भावना से आगे भी चले यही मेरी कामना है।

श्री शशिभूषण (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी मैं इस बिल का समर्थन करता हू, और जैसा माननीय बनर्जी ने कहा है कि बुन्देलखण्ड का जो पिछडा इलाका है उसमे कुछ आशा की नई लहर आयेगी, इसका भी मैं समथन करता हू। साथ ही मैं बनर्जी साहब की इस बात का भी समर्थन करता हू कि जो बोर्ड बन रहा है तो 20 सूत्री प्रोग्राम के आधार पर चुने हुए नुमाइन्दो का कम से कम कुछ तो ख्याल रखना चाहिये। इस दृष्टि से अगर उस

लाके के एम० पी० को भी इस बोर्ड में रखा जाता तो बहुत अच्छा होता । अब भी उन को रखा जा सकता है, इस में कोई देर नहीं हुई है । तो माननीय बनर्जी साहब की इस सिफारिश का मैं समर्थन करता हूं।

माननीय बनर्जी साहब ने जो यह बात कही कि गरीबी की वजह से डाकू पैदा होते हैं, मैं इस को नहीं मानता । महलों में जो सामन्तवाद के कीड़े पनप रहे हैं उन की वजह से डाकू पैदा होते हैं जितने भी हथियार डाकुओं को उस इलाके में दिये जाते रहे हैं वह कभी ग्वालियर के महल से मिले, कभी किसी और रजवाड़े से मिले । अगर उस क्षेत्र से सामन्तवाद समाप्त हो जाये तो डाकू आप को उस इलाके में नजर नहीं आयेंगे । बड़ी-बड़ी बिरादरी के लोग अपनी मूछों पर ताव देने के लिये और उन के पीछे चलने वाले जो अपने को मार्शल रेस का कहते हैं, वही लोग इन डाकुओं में हैं । मैं भी उस इलाके का रहने वाला हूं इसलिए वहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित हूं । अगर वहां डाकू लोग डाका डालते हैं तो जाते वक्त जेवरात वह अपने साथ ले जाते हैं और बरतन हरिजन के घर रख जाते हैं । और वे बेगार में उठा कर ले जाते हैं और अगर कहीं पकड़े गये तो मार खाएं इस तरह से उस इलाके में बहुत पिछड़ापन है और मैं यह समझता कि यह मार्शल और नान-मार्शल रेस की बात खत्म कर दी जाए । हरिजनों को भी फौज में लिया जाए, पुलिस में लिया जाए । वे बहादुर हैं, उन के सीने भी उतने ही चौड़े हैं जितने कि दूसरे लोगों के और बुन्देलखंड के लोग बहुत मजबूत हैं, यह मैं जानता हूं । अगर ऐसा होगा तो उस इलाके में डाकू नहीं रह सकते लेकिन उन की आत्मा को कचोटा जाता है और उन को पीसा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब बेतवा नदी के पानी के बटवारे पर आइए।

श्री शशि भूषण : बेतवा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक मानवता का प्रश्न था और इस को हल किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर सामन्तवाद के खिलाफ बीस सूत्री कार्यक्रम में हम ने पहली बार अपने प्रजातंत्र में फ्रेंच रैवोलूशन के बाद ऐसा हमला किया है वरना दुनिया की डेमोक्रेसी ने सामन्तवाद के साथ समझौता किया हुआ है । मेरा कहना तो यही है कि बेतवा के पानी से डाकू नहीं खत्म होंगे बल्कि सामन्तवाद को खत्म करने से ही वे खत्म होंगे ।

यह खुशी की बात है कि यू० पी० और मध्य प्रदेश में यह समझौता हुआ है वैसे मैं यह जानता हूं कि यू० पी० और मध्य प्रदेश के लोग पेरोकियल नहीं हैं और वे प्रान्तीयता को मानने वाले नहीं हैं और उन का आपस में झगड़ा नहीं है । मेरा दोनों प्रान्तों से सम्बन्ध रहा है, इसलिए मैं इस के बारे में जानता हूं लेकिन इस क्षेत्र में और भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जैसे कि नर्मदा का प्रोजेक्ट है । उस से राजस्थान तक पानी जाने की सम्भावना है लेकिन वह वर्षों से पड़ा हुआ है और उस को हल करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । कमीशन बना दिया जाता है और उस में रिटायर्ड जज को बैठा दिया जाता है और वह कभी फैसला जल्दी नहीं करता अगर नर्मदा का फैसला कुछ अर्से पहले हो गया होता, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों को काफी फायदा होता, लेकिन वह आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है और लटका हुआ है । मुख्य मंत्रियों की मीटिंगें होती हैं लेकिन मामला तय नहीं हो पाता । इसके लिए पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए और फौरन फैसला होना चाहिए । इस को रिटायर्ड जज नहीं कर सकता है । उनको तो समय पूरा करना होता है । आप ने जो कमीशन को बजाए बोर्ड बनाया है, यह अच्छी शुरुआत की है । यह अच्छा होता कि इस में आप एम० पी० और उस इलाके

[श्री शशि भूषण]

के लोगों को भी रखते। अगर ऐसा हो तो फैसला जल्दी हो सकता है। बीस-सूत्री कार्यक्रम और खासतौर से इमरजेंसी में जो ये सब काम हो रहे हैं, तो अच्छी बात है लेकिन जो पानी के और मसले पड़े हुए हैं उन की तरफ भी सरकार को फौरन ध्यान देना चाहिए। एक टाइम-बाउन्ड चीज होनी चाहिए कि नर्मदा के विवाद का फैसला फलां समय तक हो जाएगा। हुक्म देने में हम क्यों कंजूसी करते हैं। इमर्जेंसी में हमने देखा है कि हिन्दुस्तान की जनता हुक्म को मानना चाहती है लेकिन हम हुक्म देने में कंजूसी करते हैं। इसलिए अगर सरकार जल्दी फैसला देगी तो वे इस को मानेंगे।

एक चीज और कहना चाहता हूं वैसे वह इस से सम्बन्धित नहीं है। यहां पर परिवहन मंत्री जी बैठे हुए हैं। नदियों के जरिये से या नहरों के जरिये से जो नेविगेशन होती है उस को हम ने हमेशा छोड़ा है। कई पार्लियामेंटरी कमेटीज बनी और उन की रिपोर्टस आईं लेकिन उन पर हम ने कभी ध्यान नहीं दिया। नेविगेशन में ट्रांसपोर्ट डीजल का खर्च होता है और उस में सामान आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। अगर नेविगेशन को बढ़ावा मिलता है तो उस में इलाके बढ़ेंगे शहर बढ़ेंगे जैसे कि आप देखते हैं कि पार्लि-पुत्र और दूसरे बड़े शहर नदियों की वजह से बढ़े हैं। उस तरफ कम ध्यान दिया गया है। कृषि के साथ सिंचाई जुड़ी हुई है तो यह भी उस के साथ आए। नदियों का प्रश्न भी उस के साथ जाए या फिर वह भी आप ट्रांसपोर्ट को दे दीजिए। यह जो अलग अलग मामला चल रहा है यह ठीक नहीं है। आप बेतवा का प्लान कर रहे हैं। कल पता लगा कि दूसरी नदियां से इस को मिलना है। यह बांध पुराना हो जाएगा। इसलिए पहले राष्ट्रीय स्तर पर इस का सर्वे होना चाहिए कुछ हो चुका है, बहुत दिन पहले हुआ था लेकिन वह काफी नहीं है और इस दिशा में काम होना चाहिए।

इस बिल का मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि नर्मदा योजना का फैसला बहुत जल्दी होना चाहिए। वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। उस का फैसला जल्दी होने से और बांध बनने से मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सकेगा और सामन्तवाद का खात्मा हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं।

12.55 hrs

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बोर्ड बनाने की भावना है वह ठीक है। लेकिन आप मेहरबानी करके कानून को पूरा पढ़ लीजिए तीन साल तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना है। अभी शशिभूषण जी कह रहे थे कि कमीशन हो तो समय निर्धारित हो जाए। उसमें तो कुछ नहीं है। आप इस बिल की सारी सेक्शन पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि बोर्ड रूल्स फ्रेम करेगा। बोर्ड को रूल्स फ्रेम करने का पावर नहीं है। यह तो कानून बनाने का कम एक तरीका है कि कानून बन गया। बोर्ड कैसे रूल्स फ्रेम करेगा कैसे करेगा, क्या करेगा यह एक बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बताता हूं इसमें लिखा है—

> Subject to the rules, the Board may appoint such officers and employees as it may deem necessary for the efficient discharge of its functions.'

फिर उसके बाद कहा है—

> The Board shall, as far as practicable utilise the services of the officers and employees offered by the Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in such a manner that equal representation is given to the two States

The terms and conditions of service of the officers and employees of the Board shall be such as may be **determined by regulations."**

बोर्ड क्या करेगा ? बोर्ड सरविसिज के रूल्स बनायेगा या रेगुलेशंस बनायेगा, क्या करेगा ? समें आपने यह भी कहा है कि वह सरविसिज एक्वायर करेगा। इसका इसमे प्रोविजो है। मे जो कानून बनते हैं उनका कुछ मकसद होता है। इस कानून का मकसद क्या है, आप इस कानून के आधार पर जो काम करने जा रहे है, वह इसमे कुछ स्पेसिफाई नही है। कौन-सी तारीख से बोर्ड काम करेगा यह कुछ साफ नही होता। मंत्री जी ने इसको सारी सेक्शंस तो जरूर पढ़ी होगी। सेक्शन 2। को आप देखे। इसमें लिखा है—

"The Board may, with the previous approval of the Central Government, make regulations not inconsistent with this Act and the rules for enabling it to discharge its functions under this Act"

क्या आपने इसके लिए बोर्ड को कोई गाइड-लाइन्स दी है या नहीं ? ऐसे कानून बनाने का क्या फायदा ? बोर्ड जब रेगुलेशन्स बनायेगा तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को एडवाइज देनी पड़ेगी। वह एडवाइस आप किस वक्त देंगे ?

हर सेक्शन मे एक बात है कि बोर्ड जो कानून बनायेगा उसमें नौकर रखने के काम को इम्प्लीमेंट करने के लिये भी नियम बनायेगा और सारे के सारे कानून बनाने मे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा। इसमे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इजीनियर्स कौन से होंगे ? मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स लगाये जायेंगे या उत्तर प्रदेश के लगाये जायें। अकाउंटेंट उत्तर प्रदेश का होगा या मध्य प्रदेश का होगा ? इस बारे में इसमें कुछ नहीं है।

13 01 hrs.

मेरे विचार मे इस बोर्ड के जो काम करने का तरीका होगा वह लम्बा होगा। इसमें आप कही पर भी बता दीजिए कि यह हो कि बोर्ड इस प्रकार काम करेगा और इस प्रकार काम करायेगा। काम करने के लिये कौन जिम्मेदार होगा ? बोर्ड क्या करेगा यह स्पष्ट नही है।

"Subject to the rules, the Board may from time to time, constitute one or more Advisory Committees to assist the Board and the Executive Committee in the efficient discharge of their functions"

You say 'one or more', for what purpose? What will be the object of the Advisory Committee? कानून क्या बनना है भगवान जाने। कितनी होंगी, किस उद्देश्य के लिए बनाई जाएगी, कुछ पता नहीं।

Coming to Clause 9, it says

'Subject to the rules " Who will frame these rules? It goes on to say.

" the Board may from time to time, constitute one or more Advisory Committees to assist the Board and the Executive Committee in the efficient discharge of their functions"

एडवाइजरी कमेटी की जो राय होगी, वह बाइंडिंग होगी या नही ? बोर्ड क्या काम करेगा ? क्लाज 9(1) मे किस प्रकार से आफिसर्स मुकर्रर किए जाएंगे, कोई रास्ता नही बताया गया है।

[श्री मूल चन्द डागा]

Clause 11(iii) says:

"that the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh shall extend full cooperation to the Board and shall in particular make available to the Board the land and electric power required by it for construction purposes as expeditiously as possible."

यह क्या रूल है ? किस तरह से यह होगा। किन शर्तों पर प्रश्न करेंगे। इस कानून को बनाने में मंत्री महोदय का क्या उद्देश्य है पता नहीं चलता है। सिंचाई का बांध बन जाएगा और काफी भूमि सिंचित हो जायगी लेकिन कितने वर्ष लगेंगे ? क्या इस पर उन्होंने अपना विभाग भिड़ाया है ?

What is the power of the Board?

"Without prejudice to the generality of the foregoing revision, such power shall include the powers—

(a) to acquire, hold and dispose of such properties.. "

अगर लैंड एक्वायर करना है तो

I say that it should be acquired under the Land Acquisition Act. क्या उसके लिए अलग रूल बनेंगे ?

What does clause 17 says? It says

"In the discharge of its functions, the Board shall be guided by such directions and instructions on questions of policy as may be given to it by the Central Government".

य क्या डायरेक्शन होंगे ? बोर्ड बनने के पहले डायरेक्शन इशू हुए है या नहीं हुए है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please We are discussing, I think, the first stage—the principle—and we do discuss the clauses at this stage; we discuss them at the next stage You can speak on clauses at that stage.

SHRI M. C. DAGA: All right, Sir. I am telling you as to how the Board will function.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are clause by clause as if you are discussing every clause.

श्री मूलचन्द डागा मैं यह कहना चाहता हूं कि बोर्ड फंक्शन कैसे कर सकेगा, उसको क्या पावर्ज हैं, बोर्ड कब तक काम पूरा कर लेगा, कैसे कर लेगा, कुछ पता नहीं। जो आपकी इच्छा है वह इस बिल से पूरी नहीं होगी। इससे समय की और पैसे की बरबादी होगी।

श्री केदार नाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है उनको मैं सब से पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सभी मित्रों ने इस बिल का हृदय से स्वागत किया है। कुछ शंकायें भी कुछ मित्रों ने व्यक्त की है। मैं कोशिश करूंगा कि उन शंकाओं का समाधान कर सकूं। मधुकर जी ने इस बिल पर बोलते हुए कुछ बुनियादी सवाल उठाए है। उन्होंने कहा है कि पानी के बारे में हमारी राष्ट्रीय नीति क्या है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार के उत्तरी भागों में जो बाढ़ों के कारण संकट आता है उसके बारे में भी कुछ सवाल उठाए है। हालांकि वे इस बिल के बाहर हैं।

जैसा कि आप को मालूम है, नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है। एक बहुत हाई-पावर्ड डेलीगेशन वहां गया था, और कुछ समस्याओं पर इनवेस्टीगेशन करना तय हो गया था। राप्ती, बागमती और शारदा नदियों पर कुछ बांधों बनने के बारे में काम शुरू हो गया है।

माननीय सदस्य ने कहा कि नदियों के जल के बारे में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करना चाहिए। इस विषय में सरकार की तरफ से

काफी कोशिश हो रही है। लेकिन चूंकि इस बारे में आखिर में राज्य सरकारें ने राय देनी है, इसलिए उन की सहमति भी जरूरी है। मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह राज्य सरकारों पर दबाव डालें कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री अहिरवार ने कहा कि जहां इस वक्त बांध बन रहा है, वह मुनासिब जगह नहीं है, बल्कि अगर इससे तीन चार किलोमीटर ऊपर बांध बनता, तो शायद कुछ ऐसे का फायदा हो जाता। मैं समझता हूं कि हमारे टेक्निकल साथियों, दोनों राज्यों के इंजीनियरों और सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन, ने इस पर काफी गौर किया, इनवेस्टिगेशन किया, और वह जगह मुनासिब नहीं पाई गई। इसलिए बेतवा नदी पर जहां इस वक्त बांध बन रहा है, वही मुनासिब जगह पाई गई है।

इस बोर्ड की स्थापना क्यों हो रही है? इस देश में यह पहला बोर्ड बनने जा रहा है। इस के कुछ कारण हैं। इस बांध का ज्यादातर हिस्सा मिट्टी का होगा और थोड़ा सा हिस्सा मैसनरी का होगा। इस का आधा भाग मध्य प्रदेश में है और आधा भाग उत्तर प्रदेश में है। इस लिए अगर उन प्रदेशों की सरकारें अलग अलग बनाती, तो सम्भव था कि यह बांध न बन पाता। इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता हुई। यह बोर्ड एक हाई-पावर्ड बोर्ड है, जिस की अध्यक्षता एग्रीकल्चर एण्ड इरिगेशन मिनिस्टर करेंगे। उस में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री होंगे। इस हाई-पावर्ड बोर्ड के सामने ये सब मसले आयेंगे कि पानी का उपयोग कैसे हो।

श्री डागा ने कई आपत्तियां की हैं। उन की शंका है कि शायद यह बोर्ड नहीं चल पायेगा मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि यह बोर्ड कंस्ट्रक्शन के लिए, और उस के बाद मेंनटेनेंस के लिए है, और वह अपने रूल्ज बनायेगा, और उन रूल्ज के मुताबिक एडवाइजरी कमेटीज बनेंगी। चूंकि यह बोर्ड एक टैक्नीकल बोर्ड नहीं है, इसलिए उस को टैक्नीकल राय और मश्वरा लेना पड़ेगा। अपने टैक्नीकल नो-हाऊ से कैसे सहायता लें, इसके लिए एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ेगी। एक, दो या तीन, जितनी भी जरूरी होंगे, उतनी कमेटियां बनेंगी, लेकिन सौ या पचास की संख्या में न कभी कमेटियां बनी हैं और न बनाने की आवश्यकता महसूस होगी।

श्री शशि भूषण ने इस बिल का स्वागत किया है और उन्होंने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं की है। श्री बनर्जी ने कहा है कि एडवाइजरी कमेटी में उस इलाके के लोक सभा के सदस्य भी रहें। तो यह सवाल आयेगा कि विधान सभा और जिला परिषदों के सदस्य भी कहेंगे कि उन को भी रखा जाये।

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : जो लोग विस्थापित होंगे, उन के रीहैबिलिटेशन के बारे में सरकार ने क्या सोचा है? बांध पर काम करने वाले मजदूरों की जो समस्यायें पैदा होंगी, उन का समाधान कैसे हो सकेगा?

श्री केदार नाथ सिंह : मैं समझता हूं कि जो मुख्य मंत्री हमारे हैं दोनों प्रदेशों के वह जनता के ही नेता हैं और उन के वहां होने से सारे मसले हल हो जायेंगे।

उन्होंने जो रिहैबिलिटेशन का सवाल उठाया वह भी इसी बोर्ड के सामने जायगा और बोर्ड तय करेगा कि कितना मुआवजा दिया जायगा, कहां बसाया जायगा। सारे मसले उस के सामने आयेंगे। वह इतना बड़ा फोरम होगा कि कोई भी मसला आएगा तो उस के सामने रखा जायेगा, वह तय करेगा

[श्री केदार नाथ सिंह]

और अगर यह कोई नहीं तय कर पाएगा तो आखीर में यह केन्द्रीय सरकार के सामने आयेगा और केन्द्रीय सरकार का फैसला अन्तिम होगा, दोनों सरकारों के लिए वह मान्य होगा ।

हमारे दोस्तों ने जो इस बिल का समर्थन किया है उस के लिए मैं उन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह इस के इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे साथ सहयोग करेंगे ।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मंत्री महोदय ने बताया कि जल को देश की सम्पत्ति बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स से आप पूछ रहे हैं । मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि ये सारी बातें पिछले तीन सालों से चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले अगर इस का विरोध करते हैं........ (व्यवधान) ......

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is outside the scope of this Bill. He just referred to it by the way. It is not part of the Bill. Because some members had raised that point, we just referred to it.

SHRI SHIVNATH SINGH: This is the principle involved in the Bill.

SHRI NATWARLAL PATEL: This is a matter of co-operation among State Governments. Let us know which are the State Governments which are not co-operating. This matter has been going on for the last three years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a much bigger question. But if he wants to answer, he may.

SHRI KEDAR NATH SINGH: Although, as you have observed, it is not part of the Bill, as I have already mentioned, State Governments are being consulted on this issue. Ultimately we come to Parliament to take its sanction. Then we will have to go to the State Governments to take their agreement. Suppose they decide not to agree, then we shall be in difficulty. We are considering all this and we are taking necessary steps and we hope State Governments will also take the same view.

SHRI NATWARLAL PATEL: The question is very simple.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is enough. The question is:

> "That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up clause by clause consideration. The question is:

> "That clauses 2 to 24, the Schedule and clause 1 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 2 to 24, the schedule and clause 1 were added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment Made:

Page 1, line 1,—*for* "Twenty-sixth" *substitute* "Twenty-seventh". (1)

(*Shri Kedar Nath Singh*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was aded to the Bill.

The Title was added to the Bill

SHRI KEDAR NATH SINGH: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed"

MR DEPUTY-SPEAKER The question is:

"That the Bill, as amended, be passed"

The Motion was adopted

13.15 hrs.

INDIAN STANDARDS INSTITUTION (CERTIFICATION MARKS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B P MAURYA) Sir, I beg to move

That the Bill further to amend the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

The ISI (Certification Marks) Amendment Bill, 1976 was considered and passed by the Rajya Sabha on the 10th March 1976 The Committee on Subordinate Legislation, while scrutinising the Indian Standards Institution (Certification Marks) Amendment Regulations 1968 noticed that though the regulations provide for the levy of fees for the grant or renewal of any licence which have the effect of imposing a financial burden, they are not required to be laid before both Houses of Parliament and hence they recommended that the regulations should be so laid This Bill, therefore amends the ISI (Certification Marks) Act to achieve this object

In amending the Act for this purpose, sub-section (4) of Section 20 of the Act has been deleted, and a new section 22 has been inserted The new section 22 clearly provides for the laying of the rules and regulation framed under the Act to be laid on the Tables of the two Houses of Parliament

Secondly, clause (e) of sub-section (2) of section 20 has been deleted and the words, "and may also provide for the levy of fees for the grant or renewal of any licence" have been added at the end of sub section (2) of section 21 This has been done to empower expressly the Indian Standards Institution to make regulations for the levy of fees for the grant or renewal of any licence under the ISI (Certification Marks) Act, 1952 This amendment does not involve any new provision in the Act The provision already existing against clause (e) of sub-section (2) of section 20 has been omitted and it has been added at the end of sub-section (2) of section 21 Sir, I beg to move that the Bill be taken up for consideration

MR DEPUTY-SPEAKER This is only to enjoin that regulations should be laid on the Table of the House What are you going to say? I thought you should welcome a measure of this kind

Motion moved

'That the Bill further to amend the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration '

DR SARADISH ROY (Bolpur) I have a few observations to make This Bill has been introduced in accordance with the recommendations of the Subordinate Legislation Committee of this House In a report of the Fourth Lok Sabha presented on 16th December, 1970 to this House the Committee says

The ISI is not precluded from making regulations for prescribing fees, such regulations are not in consonance with the spirit and scheme of section 21 of the principal Act Even otherwise, the Committee feels, that fees for grant of licences